


भूमि का मूल्यांकन बराये वर्ष 2016-17 गांव सम्बन्धित उप-तहसील, मोरनी जिला पंचकुला।


(2)

नाम भोज	सडक के नजदीक रिहायशी तथा आबादी सहित प्रति बिस्वा	व्यवासिक बिस्वा	प्रति चाही/कलाहू प्रति बिघा	बरानी,औबड,दोयम, औबड अक्वल ,प्रति बिघा	बंजर, प्रति बिघा	गैर मुमकिन पहाड, प्रति बिघा
भोज बालग	125000	----	190000	170000	135000	125000
भोज जबयाल	150000	200000	220000	180000	155000	135000
भोज धारटी	150000	200000	220000	180000	155000	135000
भोज मटौर	150000	200000	220000	180000	155000	135000
भोज नगल	90000	----	190000	155000	135000	120000
भोज पोन्टा	120000	----	190000	155000	135000	120000
भोज पलासरा	90000	----	190000	155000	135000	120000
भोज कुदाना	90000	----	190000	155000	135000	120000
भोज राजपुरा	85000	----	190000	155000	135000	120000
भोज नाईटा	----	----	175000	155000	135000	120000
भोज टिपरा	----	----	175000	155000	135000	120000
भोज कोटी	85000	----	175000	145000	135000	120000
भोज धारडा	----	----	175000	145000	135000	120000
भोज कोठी	----	----	175000	145000	135000	120000


1. यदि किसी व्यक्ति का भूमि खरीद पर राजस्व रिकार्ड के अनुसार पिछले 12 से 30 वर्ष तक बतौर गैर मरूसी मुजारा कब्जा चला आ रहा है और वही व्यक्ति कब्जे वाली भूमि को खरीदता है, तो इस खरीद की कीमत उपरोक्त दर्शाई गई कीमत का 1/3 मानी जाएगी।
2. यदि भूमि कृषि योग्य अथवा आबादी या सडक से 100 फुट की दूरी पर है तो उस भूमि पर कृषि का कलौक्टर रेट निर्धारित होगा
3. तामिर शुदा मकानों का रेट पक्का 1000/-प्रतिवर्ग फुट तथा कच्चा 800/-रुपए प्रति वर्ग फुट के हिसाब से होगा।
4. 5(पांच) वर्ष से पुराने मकान पर 1 प्रतिशत के हिसाब से छुट होगी।

सहायक, महोदय
Collector, Panchkula
पंचकुला।


उपमण्डल अधिकारी,
पंचकुला।


जिला राजस्व अधिकारी,
पंचकुला।


तहसीलदार,
पंचकुला।


नायब तहसीलदार,
मोरनी